



महिला बाल – श्रमिक में शिक्षा की भूमिका का एक विष्लेषणात्मक

अध्ययन

(मुरादाबाद महानगर के 5 केन्द्रों से जुड़ी 50 महिला बाल–श्रमिकों पर आधारित)

डॉ जोहरा जबी

असि० प्रोफेसर (समाजशास्त्र)

एम०जी०एम० (पी०जी०) कॉलिज, सम्बल

सामान्य परिचय :-

आधुनिक भारतीय समाज में महिला बालश्रम कलंक के रूप में विद्यमान है। बालिकाओं की समृद्धि और विकास के लिए हमें अनेक प्रयत्न करने होंगे क्योंकि बालिकायें समाज के लिए भविश्य की आषा है। वे अधिकारी कलियों की भाँति है, जिन्हें खिलने और संवरने के लिए उपयुक्त देखभाल की आवश्यकता है ताकि वे एक स्वस्थ बालिका के रूप में विकसित हो और समाज के भविश्य निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

आज हमारे देश में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अनेक बालिकायें स्कूल नहीं जा पाती हैं। उन्हें मजबूरीवश महिला बाल–श्रमिक बनना पड़ता है। इसके कारण वे खिलने से पहले ही मुरझा जाती हैं। महिला बाल–श्रम केवल बालिकाओं के विकास में अवरोधक नहीं है अपितु समाज के विकास में भी पूर्ण रूप से बाधा डालता है।

वर्तमान आधुनिक युग में सभी समस्याओं में से एक बड़ी समस्या महिला बाल–श्रम है, जो बाल्यवास्था के लिए विनाषकारी है। भारत में बालिकाओं का षोशण होता है जो तत्व महिला बाल–श्रमिक के लिए उत्तरदायी हैं, वे गरीबी, अज्ञानता, निरक्षरता, कम वेतन, बेरोजगारी, सामाजिक पिछड़ापन, जीने का निम्न स्तर आदि हैं। इसी कारण भारत में



बालिकायें कार्य करती हैं। वास्तव में बहुत सी महिला बाल-श्रमिक बंधुआ मजदूर की भाँति कार्य करती हैं। (विजय कुमार और प्रसन्ना : 1999, पृष्ठ 2)

महिला बाल श्रमिक का अर्थ :-

कोई भी ऐसी बालिका जिसने अपनी आयु का चौदहवाँ वर्ष पूरा नहीं किया है, ऐसे कार्य में लगी हैं जो कार्य उसके मनोरंजन और पढ़ाई लिखाई के अवसरों में बाधा डालता है और वेतन लेकर या बिना वेतन के श्रम का काम कर रही है।

फ्रांसिस बिलांचर्ड भूतपूर्व डायरेक्टर (आई0एल0ओ0) :-

महिला बाल-श्रमिक वह बालिकायें जो कम वेतन पर अधिक समय तक उनके शारीरिक मानसिक विकास व स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, भयावह दषाओं में कार्य करती है। वह परिवार और प्रषिक्षण सामग्री से वंचित रहती है जिसके द्वारा उन्हें सुनहरा भविश्य मिल सकता था। (जोसफ गाथिया : 1998, पृष्ठ 12)

किसी राश्ट्र का भविश्य इस बात पर निर्भर करता है कि बालिकाओं को शिक्षा व प्रषिक्षण किस प्रकार दिया जाता है, एवं किस प्रकार उनकी मानसिक व शारीरिक देखभाल होती है। भारत की सरकार महिला बाल-श्रम सुधार के लिए गहराई से जुड़ी है।

माइनर वीनर ‘द चाइल्ड एण्ड द स्टेट इन इण्डिया’ :-

इसका फलितार्थ यह है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना देने के बाद यहाँ विद्यालय न भेजे जाने वाली बालिकाओं के अभिभावकों को दण्ड देने का प्राविधान है। तो यहाँ महिला बाल-श्रमिकों की समस्या हल हो सकती है। (माइनर वीनर : 1991, पृष्ठ 4)

बाल श्रमिक हितकारी केन्द्र का अर्थ :-

बाल-श्रमिक हितकारी केन्द्रों में महिला बाल-श्रमिकों का प्रवेष सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। जहाँ उन्हें सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती



है। इन विषेश केन्द्रों में आवष्यक पोशाहार दिया जाता है। साथ ही साथ उन बाल-श्रमिकों को जो निशेध रोजगार से हटाकर यहाँ लाये जाते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं तथा सभी बाल-श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखरेख की व्यवस्था होती है।

बाल श्रमिकों के सम्पूर्ण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, “बाल श्रमिक हितकारी केन्द्र” कहलाते हैं। यह केन्द्र भारत सरकार के श्रम विभाग द्वारा चलाये जाते हैं इन केन्द्रों में बाल-श्रमिकों के पूर्ण और अच्छे विकास के लिए स्नेह का वातावरण होता है।

षोध के उद्देश्य :-

प्रस्तुत षोध में जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है वे निम्नलिखित है—

- महिला बाल-श्रमिकों का केन्द्र में प्रवेष का अध्ययन करना।
- बाल-श्रमिक हितकारी केन्द्रों के माध्यम से सामान्य शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना।
- बाल-श्रमिक हितकारी केन्द्रों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना।
- ऐक्षिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभा प्रगटीकरण का अध्ययन करना।

उपकरणायां :-

- महिला बाल-श्रमिक का सामान्य शिक्षा के प्रति रुझान अधिक है।
- महिला बाल-श्रमिकों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति रुझान अधिक है।
- महिला बाल-श्रमिकों में सीखने की गति तीव्र है।
- महिला बाल-श्रमिकों का ऐक्षणिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभा प्रगटीकरण तीव्र है।

षोध प्रारूप :-



प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद महानगर के विभिन्न कार्यों में संलग्न महिला बाल-श्रमिकों को बाल श्रम हितकारी केन्द्रों में प्रवेष दिलाने पर व शिक्षा का उन पर प्रभाव पर आधारित है। महिला बाल-श्रम उन्मूलन हेतु शिक्षा से महिला बाल-श्रमिकों को जोड़ने के लिए मुरादाबाद महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल-श्रम परियोजना के अन्तर्गत 70 बाल-श्रम हितकारी केन्द्र चलाये जा रहे हैं। उनमें लगभग 1,830 महिला बाल-श्रमिक अध्ययनरत हैं। उनमें से 50 महिला बाल-श्रमिक उत्तरदाताओं को सोददेष्पूर्ण निर्देशन के आधार पर चयनित किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में महिला बाल-श्रमिकों में शिक्षा की भूमिका को केन्द्रित करते हुए स्कूल में प्रवेष, शिक्षा के प्रति रुझान, केन्द्र में महिला बाल-श्रमिक के सीखने का स्वरूप का वर्णन किया गया है। महिला बाल श्रमिकों से तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में महिला बाल-श्रमिकों में शिक्षा की भूमिका से सम्बन्धित तथ्य प्राप्त हुए हैं।

प्रस्तुत शोध प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के तथ्यों पर आधारित है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची को आधार बनाया गया है तथा द्वितीयक तथ्यों हेतु पुस्तकालय, संचालित योजनायें, सम्बन्धित शोध, षासकीय प्रतिवेदन समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं आदि का प्रयोग किया गया है।

केन्द्र में प्रवेष :—

महिला बाल-श्रमिकों का केन्द्र में प्रवेष सर्वेक्षण के आधार पर होता है। सर्वेक्षण में अधिकतर पढ़ने की इच्छुक पायी गयी। केन्द्र में प्रवेष के संदर्भ में महिला बाल-श्रमिकों का विवरण निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।



तालिका संख्या – 01

महिला बाल-श्रमिक का केन्द्र में प्रवेष

प्रवेष	संख्या	प्रतिषत
स्वेच्छा से	36	72:
अति उत्साह से	14	28:
तटस्थ		.
कुल योग	50	100:

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि बाल-श्रमिक हितकारी केन्द्रों में महिला बाल श्रमिक का प्रवेष 72 प्रतिषत स्वेच्छा से हुआ है तथा 28 प्रतिषत अति उत्साह से हुआ है। तटस्थ स्थिति घून्घ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिला बाल-श्रमिक श्रम तो करती थी परन्तु कही न कही उनके मन में पढ़ने की इच्छा भी विद्यमान थी।

षिक्षा का प्रभाव :-

षिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। वास्तविक षिक्षा व्यक्ति की भावना और विचारों को षुद्ध करके व्यक्ति की बुद्धि का विकास करती है। षिक्षा मनुश्य को कर्तव्य और अकर्तव्यों का भी ज्ञान कराती है। इससे मनुश्य का चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। इस प्रकार मनुश्य के धरीर, बुद्धि और आत्मा का विकास करना ही षिक्षा का उद्देश्य है। इस संदर्भ में प्रस्तुत षोध में महिला बाल-श्रमिकों पर षिक्षा से पड़ने वाले प्रभाव से सम्बन्धित विवरण तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 02

महिला बाल-श्रमिकों पर सामान्य षिक्षा का प्रभाव



षिक्षा का प्रभाव	संख्या	प्रतिष्ठत
बहुत अच्छा	29	58:
अच्छा	16	32:
आं॒षिक	05	10:
कुल योग	50	100:

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बाल-श्रमिक हितकारी केन्द्रों में अध्ययनरत् महिला बाल-श्रमिकों पर सामान्य षिक्षा का प्रभाव 58 प्रतिष्ठत बहुत अच्छा है। लगभग एक तिहाई 32 प्रतिष्ठत अच्छा हैं मात्र 05 प्रतिष्ठत आं॒षिक है।

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत किये गये तथ्यों के विष्लेशण से निश्कर्ष निकलता है कि महिला बाल-श्रमिकों पर षिक्षा का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ रहा है। अपनी योग्यताओं को पहचान रही है। नया सीखने को जागरूक रहती है।

व्यावसायिक षिक्षा का प्रभाव :—

व्यावसायिक षिक्षा से तात्पर्य उस मानवीय षिक्षा से है, जिसका उद्देश्य धनोपार्जन करना होता है। व्यावसायिक क्रियाओं के द्वारा ही भौतिक व मानवीय संसाधनों का श्रेष्ठतम् उपयोग करके उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुश्टि प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

प्रस्तुत षोध में महिला बाल-श्रमिक पर व्यावसायिक षिक्षा सम्बन्धी प्रभाव का विवरण निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 03

महिला बाल-श्रमिक पर व्यावसायिक षिक्षा का प्रभाव

व्यावसायिक षिक्षा का	संख्या	प्रतिष्ठत



प्रभाव		
व्यवसायोन्मुख	22	44:
जीवनोपयोगी	17	34:
गृह-कार्य उपयोगी	11	22:
कुल योग	50	100:

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिला बाल-श्रमिकों पर व्यावसायिक शिक्षा का असर प्रभावी ढंग से हो रहा है। 44 प्रतिष्ठत व्यावसायिक शिक्षा का प्रभाव व्यावसायोन्मुख पाया गया है तथा 34 प्रतिष्ठत जीवनोपयोगी पाया गया एवं 22 प्रतिष्ठत गृह कार्य उपयोगी पाया गया। इससे यह निश्कर्ष निकलता है कि व्यावसायिक शिक्षा आगे चलकर रोजगार करने में सहायक सिद्ध होगी व परिवार का पालन पोशण उचित ढंग से हो सकेगा।

सीखना :-

सीखना एक ऐसा व्यवहार है जिसमें अनुभव अथवा अभ्यास के द्वारा व्यक्ति अपनी योग्यताओं को इस प्रकार संगठित करता है कि उसमें स्थाई परिवर्तन दिखाई देने लगता है।

गेट्स के षट्दों में :-

“अनुभव के द्वारा व्यवहार में रूपान्तर लाना ही सीखना है।” (गेट्स 1955, पृश्ठ 238)

प्रस्तुत शोध में महिला बाल-श्रमिकों को सीखने से सम्बन्धित विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।



तालिका संख्या – 04

केन्द्र में महिला बाल-श्रमिक के सीखने का स्वरूप

स्वरूप	संख्या	प्रतिष्ठत
बहुत तेज	20	40:
तेज	12	24:
सामान्य	18	36:
कुल योग	50	100:

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बाल-श्रमिक हितकारी केन्द्रों में अध्ययनरत् महिला बाल-श्रमिकों के सीखने का स्वरूप 40 प्रतिष्ठत बहुत तेज पाया गया। लगभग एक तिहाई 36 प्रतिष्ठत सामान्य है तथा 24 प्रतिष्ठत तेज हैं इससे यह निश्कर्ष निकलता है कि महिला बाल-श्रमिक बहुत तेज गति से सीख रही है।

षिक्षा के प्रति रुचि :-

षिक्षा वह है जिससे मनुश्य की सभी योग्यतायें विकसित हो और वह संसार में सफलतापूर्वक जीवनयापन कर सकें।

प्रस्तुत षोध में प्रवेष लेने के बाद महिला बाल-श्रमिकों की षिक्षा के प्रति रुचि सम्बन्धी विवरण तालिका में निम्न रूप में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या –05

महिला बाल-श्रमिकों का सामान्य षिक्षा के प्रति रुझान

रुझान	संख्या	प्रतिष्ठत



अधिक	44	88:
आंषिक	06	12:
नहीं	.	.
कुल योग	50	100:

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बाल-श्रमिक हितकारी केन्द्रों से जुड़ी महिला बाल-श्रमिकों की शिक्षा के प्रति रुचि 88 प्रतिष्ठत अधिक पाई गई मात्र 12 प्रतिष्ठत की रुचि आंषिक पायी गई। नहीं में इसका प्रतिष्ठत षून्य है। इससे यह निश्कर्ष निकलता है कि महिला बाल-श्रमिकों का शिक्षा के प्रति रुझान अधिक हैं वे उत्साहपूर्वक पढ़ती हैं व शिक्षा सम्बन्धी कार्य को कुषलतापूर्वक करती हैं।

व्यावसायिक शिक्षा के प्रति रुचि :-

शिक्षा ऐसी हो कि बालिकायें आगे चलकर अपने परिवार का पालन पोशण कर सकें इसलिए सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी उपलब्ध करायी जाती है। व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न कार्य जैसे— सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मोमबत्ती बनाना, पाक षास्त्र आदि सिखाया जाता है ताकि आगे चलकर वे स्वयं रोजगार चला सकें। प्रस्तुत शोध में महिला बाल-श्रमिकों की व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धी विवरण को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका संख्या –06

महिला बाल-श्रमिकों को व्यावसायिक शिक्षा के प्रति रुझान

रुझान	संख्या	प्रतिष्ठत



अधिक	36	72:
आंषिक	14	28:
नहीं	.	.
कुल योग	50	100:

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिला बाल-श्रमिकों की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति रुचि सर्वाधिक 72 प्रतिष्ठत पाई गई तथा एक तिहाई से कम 28 प्रतिष्ठत आंषिक है। नहीं में इसका प्रतिष्ठत षून्य पाया गया है इससे यह निश्कर्ष निकलता है कि “महिला बाल-श्रमिकों का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति रुझान अधिक है, क्योंकि इस शिक्षा को ग्रहण करने से वे भविश्य में आत्मनिर्भर बन सकेंगी और अच्छे ढंग से अपने हुनर को नयी तकनीक से जोड़कर स्वयं रोजगार चला सकती है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम :-

सांस्कृतिक कार्यक्रम का तात्पर्य ऐक्षिक गतिविधियों में उसकी सहभागिता को सुनिष्प्रित करना एवं उसके माध्यम से उनमें प्रतिभा की पहचान करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करना ताकि महिला बाल-श्रमिक अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए स्वयं को समाज के लिए उपयोगी अनुभव कर सके। इसी संदर्भ को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या –07

महिला बाल-श्रमिकों का सांस्कृतिक कार्यक्रम में योगदान

योगदान	संख्या	प्रतिष्ठत



उत्साहपूर्ण	16	32:
कभी—कभी	19	38:
नहीं करती	15	30:
कुल योग	50	100:

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि “बाल—श्रमिक हितकारी केन्द्रों” से सम्बन्धित महिला बाल—श्रमिकों का एक तिहाई से अधिक 38 प्रतिष्ठत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में योगदान कभी—कभी करती है तथा 32 प्रतिष्ठत उत्साहपूर्ण योगदान करती है। इसके अतिरिक्त 30 प्रतिष्ठत नहीं करती है।

सामान्य ज्ञान :—

कौन ? क्या ? कब ? कहाँ और कितना ? इसका सीधा तात्पर्य देष विदेष तथा अपने षहर में होने वाली घटनाओं के विशय में जानकारी प्राप्त करना है। महिला बाल—श्रमिकों के प्रोत्साहन हेतु सामान्य ज्ञान प्रतियोगितायें समय—समय पर आजित की जाती हैं। प्रस्तुत षोध में महिला बाल—श्रमिकों का सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित विवरण निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका संख्या –08

महिला बाल—श्रमिकों का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में योगदान

योगदान	संख्या	प्रतिष्ठत
जिज्ञासापूर्वक	07	14:
उत्साहपूर्वक	26	52:
सामान्य	17	34:



कुल योग	50	100:
---------	----	------

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि “बाल—श्रमिक हितकारी केन्द्रों से सम्बन्धित महिला बाल श्रमिक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में योगदान 52 प्रतिष्ठत उत्साहपूर्वक व 34 प्रतिष्ठत सामान्य पाया गया है तथा 14 प्रतिष्ठत जिज्ञासापूर्वक पाया गया है। इससे यह निश्कर्ष निकलता हैं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में योगदान बहुत अच्छा है। इसका अर्थ यह हुआ कि महिला बाल—श्रमिकों में प्रतिभा प्रगटीकरण तीव्र है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :—

उपर्युक्त सारणियों से प्राप्त विष्लेशण के आधार पर हम कह सकते हैं कि महिला बाल—श्रमिक, बाल—श्रमिक हितकारी केन्द्रों में प्रवेष स्वेच्छा से लेती है। केन्द्रों में प्रवेष लेने के पछात महिला बाल—श्रमिकों के अन्दर आषातीत लाभ हो रहा है। केन्द्र के वातावरण व विकास से वे प्रसन्न हैं। वे सामान्य विकास के साथ व्यावसायिक विकास को उत्साह से ग्रहण करती है। परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रतियोगिताओं सामान्य ज्ञान, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि में बढ़—चढ़कर भाग लेती है। इससे उनके व्यक्तित्व का निरन्तर विकास हो रहा है।

अन्त में यही कहा जा सकता है कि महिला बाल श्रमिकों के लिए यह प्रयास पूर्ण रूप से उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। इसके साथ ही महिला बाल—श्रमिकों के माता—पिता, प्रषासन हमारे राजनेता और हमारी सामाजिक संस्थाओं को दृढ़ इच्छापूर्वक विकास का परिचय देते हुए और अधिक प्रयास करने होंगे। सरकार द्वारा बालिकाओं को जो निःशुल्क और अनिवार्य विकास दी जाने के प्रयास किये जा रहे हैं वह एक अच्छा प्रयास है। मगर इसके अतिरिक्त महिला बाल—श्रमिकों को विषेश ध्यान की आवश्यकता है ताकि वे कोमल कलियाँ खिलने से पहले मुरझा न जायें। उनका मनोबल बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। ताकि यह महिला बाल—श्रम की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए।



सन्दर्भ

- कुमार, विजय ए0 एण्ड प्रासन्ना (1999) 9–15 अक्टूबर : “चाइल्ड लेबर इन इण्डिया क्रीटिक, एम्प्लायमेन्ट न्यूज, वोल्यूम गप्ट ,28द्व पृश्ठ-01
- गाथिया जोसफ (1998) : “एप्रोचेज टू कम्बेटिंग चाइल्ड लेबर इन इण्डिया”, कारीटस इण्डिया क्वाटरली व वोल्यूम (48) 4, पृश्ठ-12
- वीनर माइनर, 1991 : “द चालल्ड एण्ड द स्टेट इन इण्डिया,” ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली ।
- गेट्स (1955) : “एजूकेशनल साइकॉलॉजी”, साहित्य प्रकाशन, आगरा। पृश्ठ : 238